ग्रामीण पेयजल जागरूकता सप्ताह

(20 – 25 फरवरी 2014)

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का दायित्व प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास विभाग का है । वर्तमान में विभाग भारत सरकार के ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है । ग्राम्य विकास विभाग पेयजल आपूर्ति करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की गुणवत्ता, उपयोग व सुरक्षा तथा जल संरक्षण के मुद्दों पर समय-समय पर जन जागरूकता अभियान भी चलाता रहता है । इसी क्रम में आगामी **20 से 25 फ़रवरी 2014 के बीच एक " ग्रामीण पेयजल जागरूकता सप्ताह"** चलाया जाना प्रस्तावित है ।

इस जागरूकता सप्ताह के दौरान प्रदेश में निम्नलिखित मुद्दों पर सघन जागरूकता अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है:

मुख्य मुद्दे

1. पेयजल का उचित रख-रखाव व प्रयोग (Safe Storage & Handling of Drinking Water)
2. पेयजल की गुणवत्ता (Water Quality)
3. पेयजल सुविधाओं (हैण्ड पम्प व पाइप पेयजल योजनाओं) का सहभागी संचालन व रख-रखाव (Participatory Operation & Maintenance of Water Supply Facilities)
4. जल संरक्षण (Water Conservation)

उद्देश्य

1. सुरक्षित पेयजल व जल संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जन समुदाय के ज्ञान व जागरूकता के स्तर में वृद्धि करना ।
2. सुरक्षित पेयजल व जल संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर समुदाय व परिवारों को अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रेरित करना ।
3. सुरक्षित पेयजल व जल संरक्षण के मुद्दों पर आवश्यक कार्यवाही हेतु गाँव/पंचायत/विकासखंड/जिला स्तर के सम्बंधित अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों व मीडिया की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना ।

मुख्य सन्देश

पेयजल का उचित रख-रखाव व प्रयोग

i. पीने का पानी रखने वाले बर्तन को रोज़ अच्छे से धोने के बाद ही उसमें पानी भरें ।
ii. पीने का पानी भरकर लाते समय उसमे उँगलियाँ न डूबने दें ।

iii. पीने का पानी रखने वाले बर्तन को सदैव ढक कर रखें ।

iv. पीने का पानी निकलने के लिए डंडी वाले लोटे या टोटी वाले बर्तन का ही प्रयोग करें ।

पेयजल की गुणवत्ता

i. पीने एवं खाना पकाने के लिए पानी सदैव इंडिया मार्का हैण्ड पम्प या पाइप पेयजल योजना के नल से ही लें ।

ii. नहाने, कपड़ा धोने, जानवरों को नहलाने, बच्चों की शौच धुलाने जैसे काम पेयजल स्रोतों से दूर करें ।

iii. खुले में शौच न करें ना ही बच्चों का मल खुले में फेकें ।

iv. गाँव के सभी पेयजल स्रोतों की जैविक संदूषण जांच वर्ष में 2 बार तथा रसायनिक संदूषण जांच वर्ष में 1 बार ग्राम प्रधान के पास उपलब्ध Field Testing Kit (FTK) की मदद से गाँव स्तर पर अवश्य करें ।

v. FTK जांच में संदूषित पाए गए सभी पेयजल स्रोतों के नमूने की जांच उ०प्र० जल निगम की प्रयोगशाला से अवश्य कराएं ।

पेयजल सुविधाओं (हैण्ड पम्प व पाइप पेयजल योजनाओं) का सहभागी संचालन व रख-रखाव

ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सहयोग से,

i. सभी हैण्ड पम्प व स्टैंड पोस्ट का निरीक्षण (Sanitary Survey) साल में कम-से-कम 2 बार अवश्य कराएं ।

ii. छमाही निरीक्षण के आधार पर हैण्ड पम्प/स्टैंड पोस्ट की आवश्यक मरम्मत तथा चबूतरों/नालियों का निर्माण पंचायत के माध्यम से सुनिश्चित कराएं ।

iii. गाँव के सभी हैण्ड पम्प/पाइप पेयजल योजना के संचालन व रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि हेतु प्रति परिवार मासिक/छमाही/सालाना आर्थिक योगदान निर्धारित कर उसका संकलन सुनिश्चित कराएं ।

जल संरक्षण

i. वर्षा जल के संग्रहण के लिए खेतों में मेडबंदी करें ।

ii. पुराने कुओं व तालाबों की नियमित सफाई व जीर्णोद्धार करें ।

iii. गाँव की खाली ज़मीन पर वृक्षारोपण करें ।

प्रमुख गतिविधियाँ

ग्रामीण पेयजल जागरूकता सप्ताह के दौरान राज्य, जिले, विकासखंड व पंचायत/गाँव स्तर पर विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है । विभिन्न स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों का विवरण संलग्न गतिविधि प्रारूप में उल्लेखित है ।

ग्रामीण पेयजल जागरूकता सप्ताह
(20 – 25 फरवरी 2014)

जिला स्तरीय गतिविधियाँ

क्रमांक	गतिविधियाँ	उप-गतिविधियाँ	तिथि	प्रतिभागी/लक्ष्य समूह	ज़िम्मेदारी
1	जिला स्तरीय शुभारम्भ कार्यशाला	1. माननीय प्रभारी मंत्री/जिला पंचायत अध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा जिला स्तरीय जागरूकता सप्ताह का शुभारम्भ 2. जागरूकता सप्ताह के 4 मुद्दों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान 3. सम्बंधित विषयों पर फिल्म शो/झांकी प्रदर्शन 4. जन-जागरूकता हेतु विशाल साइकिल रैली	20 फ़रवरी 2014	सबंधित विभागों के जिला/विकास खण्ड स्तर के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, मीडिया के प्रतिनिधि, सरकारी स्कूलों के शिक्षक व छात्र-छात्राएं	जिला विकास अधिकारी (District Development Officer) व अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (Executive Engineer - UP Jal Nigam)
2	जिला स्तरीय समापन समारोह	1. माननीय प्रभारी मंत्री महोदय/जिला पंचायत अध्यक्ष/जिलाधिकारी के कर-कमलों से पुरस्कार व प्रमाण-पत्र वितरण व समापन कार्यक्रम	25 फ़रवरी 2014		
3	सिनेमा हॉल के माध्यम से पेयजल से जुड़े संदेशों का प्रचार-प्रसार	1. जागरूकता सप्ताह के प्रमुख संदेशों को आम-जन तक पहुँचाने के लिए सिनेमा हॉल में स्लाइड शो के माध्यम से पेयजल से जुड़े संदेशों को प्रसारित किया जाएगा।	15 से 28 फ़रवरी 2014	आम जनता	जिला मनोरंजन कर अधिकारी (District Entertainment Tax Officer)
4	होर्डिंग व बैनर द्वारा संदेशों का प्रचार-प्रसार	1. जिला व विकासखंड मुख्यालयों पर होर्डिंग लगाकर जागरूकता सप्ताह के 4 प्रमुख मुद्दों पर आधारित संदेशों का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। 2. विभिन्न विकासखंडों के विभिन्न स्थानों जैसे बड़े बाज़ार-हाट, पक्के पंचायत द्वार आदि पर फ्लेक्स बैनर के माध्यम से जागरूकता सप्ताह के 4 प्रमुख मुद्दों पर आधारित संदेशों का प्रचार-प्रसार किया जायेगा।	15 से 28 फ़रवरी 2014	आम जनता	जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer)

क्रमांक	गतिविधियाँ	उप-गतिविधियाँ	तिथि	प्रतिभागी/लक्ष्य समूह	ज़िम्मेदारी
5	जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शासकीय विद्यालयों (कक्षा 6 से 10 तक) में जागरूकता सप्ताह का आयोजन (जागरूकता सप्ताह के चयनित 4 मुद्दों पर विभिन्न वर्गों में गाँव स्तर से शुरू करके, विकासखंड व जिला स्तर तक चित्रकला, नारा लेखन, प्रश्नोतरी, निबंध व वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन) B15	1. समस्त शासकीय विद्यालयों में जागरूकता सप्ताह के 4 मुद्दों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान व चर्चा	21 फ़रवरी 2014	सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राएं शिक्षक व आम जन	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक (District Basic Education Officer/District Inspector of Schools) व अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (Executive Engineer - UP Jal Nigam)
		2. 'पेयजल गुणवत्ता में समाज की भागीदारी' विषय पर व्याख्यान व चर्चा	22 फ़रवरी 2014		
		3. पेयजल की जांच विधि का प्रदर्शन			
		4. पेयजल सुविधाओं (हैण्ड पम्प व नल-जल योजनाओं) के रख-रखाव में ग्रामीणों की भूमिका' विषय पर व्याख्यान व चर्चा	23 फ़रवरी 2014		
		5. 'जल संरक्षण' पर सन्देश लेखन व हस्ताक्षर अभियान	24 फ़रवरी 2014		
		6. घर के स्तर पर पेयजल का रख-रखाव व प्रयोग विषय पर व्याख्यान, चर्चा व प्रदर्शन			
		7. जागरूकता सप्ताह के प्रमुख संदेशों के प्रचार के लिए विकासखण्ड/गाँव स्तर पर स्कूली छात्र-छात्राओं के साथ प्रभात फेरी व रैली का आयोजन	25 फ़रवरी 2014		
6	जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शासकीय विद्यालयों (कक्षा 1 से 5 तक) में जागरूकता सप्ताह का आयोजन (जागरूकता सप्ताह के चयनित 4 मुद्दों पर विभिन्न वर्गों में गाँव स्तर से शुरू करके, विकासखंड व जिला स्तर तक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन)	1. जागरूकता सप्ताह के प्रत्येक दिन समस्त शासकीय विद्यालय में सुरक्षित पेयजल की उपयोगिता, उसके रख-रखाव व प्रयोग के तरीकों तथा पेयजल की गुणवत्ता बनाये रखने के तरीकों पर चर्चा व प्रदर्शन के माध्यम से जानकारी दी जाएगी।	20 से 25 फ़रवरी 2014	सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राएं शिक्षक व आम जन	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक (District Basic Education Officer/District Inspector of Schools)
		2. जागरूकता सप्ताह के प्रमुख संदेशों के प्रचार के लिए विकासखण्ड/गाँव स्तर पर स्कूली छात्र-छात्राओं के साथ प्रभात फेरी व रैली का आयोजन	25 फ़रवरी 2014		

क्रमांक	गतिविधियाँ	उप-गतिविधियाँ	तिथि	प्रतिभागी/लक्ष्य समूह	ज़िम्मेदारी
7	जागरूकता सप्ताह के आयोजन का मीडिया द्वारा कवरेज	1. जागरूकता सप्ताह के आयोजन के पूर्व स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर उन्हें आयोजन के उद्देश्यों, गतिविधियों व संभावित प्रभावों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।	15 से 28 फ़रवरी 2014	इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि व आम जनता	जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer)
		2. जागरूकता सप्ताह के दौरान दिन-प्रतिदिन के आधार पर मीडिया के प्रतिनिधियों को आयोजित व प्रस्तावित गतिविधियों की प्रेस विज्ञप्ति, फोटो व अन्य सन्दर्भ सामग्री के साथ दी जाएगी।			
		3. जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित गतिविधियों की इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया द्वारा की गयी प्रेस कवरेज की कटिंग व रिकॉर्डिंग का नियमित संकलन किया जायेगा।			

ग्रामीण पेयजल जागरूकता सप्ताह
(20 – 25 फरवरी 2014)

विकासखंड/ग्राम पंचायत स्तरीय गतिविधियाँ

क्रमांक	गतिविधियाँ	उप-गतिविधियाँ	तिथि	प्रतिभागी/लक्ष्य समूह	ज़िम्मेदारी
1	ग्राम प्रधान सम्मेलन	1. प्रत्येक विकास खंड में 1 दिवसीय ग्राम प्रधान सम्मलेन बुलाकर उन्हें जागरूकता सप्ताह आयोजन के उद्देश्यों, पंचायत/गाँव स्तरीय गतिविधियों व उनके संभावित प्रभावों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।	10 से 19 फ़रवरी 2014	सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान	जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO)
		2. प्रत्येक ग्राम पंचायत के सभी गांवों में ग्राम सभा का आयोजन कर पेयजल के उचित रख-रखाव व प्रयोग, पेयजल गुणवत्ता, जल संरक्षण व पेयजल सुविधाओं के रख-रखाव की उपयोगिता व उसमें ग्रामीणों की भूमिका पर आवश्यक जानकारी दी जाएगी व सम्बंधित चर्चा की जाएगी।	20 से 25 फ़रवरी 2014	सभी गांवों के निवासी	समस्त ग्राम प्रधान
		3. जागरूकता सप्ताह के समापन के पश्चात 7 दिन के अन्दर सभी पंचायतों में आयोजित गतिविधियों का विस्तृत प्रतिवेदन, फोटो व प्रेस कटिंग के साथ जिला विकास अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।	26 फ़रवरी से 4 मार्च 2014		जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO)
2	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन	1. प्रत्येक विकास खंड में बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) द्वारा पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाकर उन्हें जागरूकता सप्ताह के आयोजन के उद्देश्यों, पंचायत/गाँव स्तरीय गतिविधियों व उनके संभावित प्रभावों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।	10 से 19 फ़रवरी 2014	बाल विकास परियोजना की समस्त पर्यवेक्षक	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी (DWCDO/DPO-ICDS)
		2. सभी पर्यवेक्षकों (ICDS Supervisor) द्वारा विकासखंड स्तरीय बैठक के 2-3 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर उन्हें जागरूकता सप्ताह के आयोजन के उद्देश्यों, पंचायत/गाँव स्तरीय गतिविधियों व उनके संभावित प्रभावों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।		सभी विकासखण्डों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	बाल विकास परियोजना अधिकारी व समस्त पर्यवेक्षक (CDPO/ICDS Supervisor)

क्रमांक	गतिविधियाँ	उप-गतिविधियाँ	तिथि	प्रतिभागी/लक्ष्य समूह	ज़िम्मेदारी
2	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन	3. प्रत्येक विकासखंड के सभी गांवों में अलग-अलग समूहों में ग्रामीण महिलाओं की बैठक कर उन्हें पेयजल के उचित रख-रखाव व प्रयोग, पेयजल गुणवत्ता, जल संरक्षण व पेयजल सुविधाओं के रख-रखाव की उपयोगिता व उसमें महिलाओं की भूमिका पर आवश्यक जानकारी दी जाएगी व सम्बंधित चर्चा की जाएगी।	20 से 25 फ़रवरी 2014	सभी गांवों की महिलाएं	समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आशा संयुक्त रूप से
		4. जागरूकता सप्ताह के समापन के पश्चात 7 दिन के अन्दर सभी पंचायतों/गांवों में आयोजित गतिविधियों का विस्तृत प्रतिवेदन, फोटो व प्रेस कटिंग के साथ जिला विकास अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।	26 फ़रवरी से 4 मार्च 2014		जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी (DWCDO/DPO-ICDS)
3	आशा व ए०एन०एम० सम्मेलन	1. प्रत्येक विकास खंड में विकासखंड चिकित्साधिकारी (BMO) द्वारा ए०एन०एम०, एल० एच०वी० व अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर उन्हें जागरूकता सप्ताह के आयोजन के उद्देश्यों, पंचायत/गाँव स्तरीय गतिविधियों व उनके संभावित प्रभावों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।	10 से 19 फ़रवरी 2014	समस्त ए०एन०एम० व एल० एच०वी० तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता	जिला मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO)
		2. सभी ए०एन०एम० व एल० एच०वी० द्वारा विकासखंड स्तरीय बैठक के 2-3 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र की सभी आशा कार्यकर्त्ताओं की बैठक बुलाकर उन्हें जागरूकता सप्ताह के आयोजन के उद्देश्यों, पंचायत/गाँव स्तरीय गतिविधियों व उनके संभावित प्रभावों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।		सभी विकासखण्डों की आशा कार्यकर्त्ता	विकासखंड चिकित्साधिकारी (BMO)

क्रमांक	गतिविधियाँ	उप-गतिविधियाँ	तिथि	प्रतिभागी/लक्ष्य समूह	ज़िम्मेदारी
3	आशा व ए०एन०एम० सम्मेलन	3. प्रत्येक विकासखंड के सभी गांवों में अलग-अलग समूहों में ग्रामीण महिलाओं की बैठक कर उन्हें पेयजल के उचित रख-रखाव व प्रयोग, पेयजल गुणवत्ता, जल संरक्षण व पेयजल सुविधाओं के रख-रखाव की उपयोगिता व उसमें महिलाओं की भूमिका पर आवश्यक जानकारी दी जाएगी व सम्बंधित चर्चा की जाएगी।	20 से 25 फ़रवरी 2014	सभी गांवों की महिलाएं	समस्त आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संयुक्त रूप से
		4. जागरूकता सप्ताह के समापन के पश्चात 7 दिन के अन्दर सभी पंचायतों/गावों में आयोजित गतिविधियों का विस्तृत प्रतिवेदन, फ़ोटो व प्रेस कटिंग के साथ जिला विकास अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।	26 फ़रवरी से 4 मार्च 2014		जिला मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO)
4	पेयजल स्रोतों का निरीक्षण व जांच	1. ग्राम पंचायतों के सभी सार्वजानिक पेयजल स्रोतों की Field Testing Kit (FTK) द्वारा गुणवत्ता जांच की जाएगी।	20 से 25 फ़रवरी 2014	ग्रामीण जानता	अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (Executive Engineer - UP Jal Nigam), जिला पंचायत राज अधिकारी (District Panchayat Raj Officer) तथा ग्राम प्रधान
		2. संदूषित पाए गए स्रोतों से पेयजल के नमूने निर्धारित जिला स्तरीय प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे जायेंगे।			
		3. ग्राम पंचायत में लगे सभी हैण्ड पम्प व उनके चबूतरों का निरीक्षण किया जायेगा।			
		4. निरीक्षण के आधार पर ख़राब पाए गए हैण्डपम्पों की मरम्मत व टूटे चबूतरों का निर्माण किया जायेगा।			
		5. पूर्व में उ०प्र० जल निगम की प्रयोगशाला में किये गए रसायनिक परीक्षण में संदूषित पाए गए जल स्रोतों को लाल पेंट व सुरक्षित जल स्रोतों को नीले पेंट से स्पष्ट रूप से मार्क किया जायेगा व साथ ही संदूषित जल स्रोतों के निकट पेयजल हेतु उसका उपयोग न करने के लिए ग्रामीणों को सूचित करने के लिए उपयुक्त सन्देश का प्रदर्शन किया जायेगा।			
		6. जागरूकता सप्ताह के समापन के पश्चात 7 दिनों के अन्दर सभी पंचायतों/गांवों में पेयजल स्रोतों की जांच, सुरक्षित/असुरक्षित पेयजल स्रोतों की मार्किंग, हैण्ड पम्पों व चबूतरों के निरीक्षण तथा मरम्मत/निर्माण का पंचायतवार विवरण देते हुए एक प्रतिवेदन जिला विकास अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।	26 फ़रवरी से 4 मार्च 2014		